



HAMIRPUR POLICE



METICULOUS INVESTIGATION & PROSECUTION

“प्रभावी पैरवी कर घर में घुसकर गम्भीर चोट पहुंचाने व एससी/एसटी एक्ट में 03 अभियुक्तो को 05-05 वर्ष का सश्रम कारावास व 48,000 रुपये के अर्थदण्ड की सजा दिलाई गई।”



श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के निर्देश पर चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के दृष्टिगत जनपद पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना व मार्ग न्यायालय में समयबद्ध रूप से साक्षियों का साक्ष्य कराकर, सार्थक पैरवी के फलस्वरूप, थाना जलालपुर में पंजीकृत मु0अ0सं0-180/05 धारा-452,324,323,504 भा0द0सं0 व 3(1)10 एससीएसटी एक्ट में सजा दिलाई गई।

उक्त अभियोग में मार्ग न्यायालय एससी/एसटी एक्ट कोर्ट जनपद हमीरपुर द्वारा दोषसिद्ध पाये जाने पर अभियुक्तगण 1.ध्रुव मिश्रा पुत्र शिवमंगल मिश्रा 2.रामकुमार उर्फ राजकुमार पुत्र प्रभुगौसाई 3.हनुमान पुत्र शिवमंगल निवासीगण ग्राम कुपरा थाना जलालपुर जनपद हमीरपुर को दोषसिद्ध करते हुए प्रत्येक को 05-05 वर्ष का सश्रम कारावास व ₹ 16000-16000/- के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।



एडीजीसी
श्री विजय सिंह



विवेचक-
सीओ श्री महेश
मिश्रा



पैरोकार-थाना जलालपुर
हे0का0 मनोज कुमार
यादव